12/6/18	पत्रावली स्थायी लोक अदालत न्याय आदेश द्वारा केस / केस कोर्ट तारीख पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित।	

Contd.

विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 बावजूद सूचना के रुक-रुक कर तीन बार आवाज दिलाई जाने के बाद अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस की गई। वाद-पत्र प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LR Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर आ. किये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[illegible]